5-16

चांदेवी

प्रेम

खरसामहिर

हनुमान सिंह

पचानली कोर्ट कैम्प महुआ

वाला पर पेश वादी प्रतिवादी स 1व 2 उपस्थित। वादी ने वाद पत्र अनुसार बताया की ग्राम महुआवालों पटवार हल्का महुआवालों के आराजी नम्बर 455 रकबा 0 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादी काबीज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात पर जबरदस्ती अपना कब्जा करना चाहते हैं। और आये दिन लडाई झगडा कर कब्जा लेना चाहते है अतः प्रतिवादीगण 1 व 2 को पाबंद करावे की वादी की उक्त पर जबरदस्ती बेदखल नहीं करें न काश्त करने पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

प्रतिवादीगण का कहना है कि यह हमारे पिता के समय से ही विवादित भूमि हमारी होकर हमारे कब्जे में ही है हम ही उक्त भूमि पर 25-30 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं वादी का कब्जा कभी नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश किये जो साक्ष्य में चांद देवी प्रेम के बयान कोर्ट कैम्प में लिये गये। जिस में बताया गया कि विवादित भूमि हमारे पिता जीवित थे तब से उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसे करीब 25 वर्ष हो गये। विशन लाल जी के कब्जे में भूमि कभी नहीं रही है। हमारे भाई प्रतिवादीगण 2 हमारे भाई है उसके कब्जे ही उक्त भूमि है

[illegible]

भूमि की
वजह से ILR को मौके
बतला कैम्प गई जिसमे भी
रिपोर्ट मंगवाई गई। कब्जा होकर
प्रतिवादी स न 2 का ही
बताया गया।
मकान
पंचनामा व मय मौका रिपोर्ट व
बयानो मौका रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया जिस मे प्रतिवादीगण
स न 2 का कब्जा बरत होना

पाया जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम महुआ वालों के आराजी नम्बर 455 रकबा 0.16 हैक्टेयर (9.1 बिस्वा) पर प्रतिवादीगण का करीब 25 वर्षों से कब्जा भी वादी को पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जबरन बाधा व बेदखल नहीं करे / वादी मौके की यथास्थिति बनाई रखे /

आज यह निर्णय कोर्ट कैम्प महुआ वालों पर खुले आम सुनाया गया /

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

(उम्मेद सिंह रामावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेदसिंह राजावत R.A.S

(1) किशनलाल पुत्र हरनारायण देरासर (हजूरी) आरजिया ..... उनवान ..... बनाम श्री हनुमानसिंह खींची S/o प्रभुसिंह खींची बड़ामहुआ श्री घनश्याम सिंह पिता स्व. प्रभुसिंह खींची बड़ामहुआ तहसीलदार भीलवाड़ा

दावा बाबत 188 रा. का. अ.

मुकदमा नम्बर :- 82/15

निर्णय दिनांक :- 18.5.16

वादी की ओर से ......वादी...... की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी ...... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...16.5.16... को ...महुआँकलां...(नाम पीठासीन अधिकारी .... भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

ग्राम महुआ कलां के आराजी नम्बर 4552 का 01 बीघा 19 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का करीब 25 वर्षों से कब्जा है। वादी को पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर प्रति.गन (का श्र. का कब्जे काश्त) व बेदखल नहीं कर वादी मौके की यथास्थिति बनाई रखे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...18.5.16... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर.......

वाद के खर्चे